


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 8(1) ग्राविवि / गुप-5 / जीकेएन / 2010 / जयपुर दिनांक 2 जनवरी, 2013

परिपत्र


ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के पैरा 7.3.2(i) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संपादित कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी शीर्ष अर्न्तगत क्र. सं. 2 व 3 पर उल्लेखित प्रशासनिक समिति को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 55-क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रशासन और स्थापन समिति से प्रतिस्थापित किया जाता है।


(आर.पी.चौधरी)

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)


प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान, जयपुर।
9. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपी निम्नांकित को अनुपालनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त -प्रथम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान - जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू- संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान को प्रति समस्त संबंधित (क्रम संख्या 12 व 13) को अपने स्तर से उपलब्ध कराने के क्रम में।
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
13. सरपंच, ग्राम पंचायत, समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)